



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भारत)
Website: www.suksn.edu.in

**सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, में पदक, छात्रवृत्ति, पीठ, नकद, पुरस्कार इत्यादि, हेतु
निधियन के लिए दिशा-निर्देश**

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, भारत राष्ट्र एवं समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। विश्वविद्यालय में छात्रों में अकादमिक, शोधात्मक एवं खेल-कूद एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देने तथा विश्वविद्यालय में अकादमिक एवं शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सामाजिक योगदान की नितांत आवश्यकता है। इसके अनुरूप विश्वविद्यालय पदक, छात्रवृत्ति, पीठ, नकद, पुरस्कार इत्यादि हेतु निधियन के लिए निम्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगा।

1. नकद पुरस्कार:

- क. नकद पुरस्कार की न्यूनतम राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) वार्षिक होगी जिसमें वृद्धि केवल रुपये पांच हजार के गुणक में होगी।
- ख. रु. 10,000/- का एक नकद पुरस्कार प्रारंभ करने हेतु रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का निधियन अपेक्षित होगा। पुरस्कारों की संख्या अथवा पुरस्कार राशि बढ़ने की स्थिति में यह निधियन उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा।
- ग. पुरस्कार, सरकारी अभिकरण/मंत्रालय, पंजीकृति संस्था अथवा व्यक्तिगत दाता द्वारा या तो निधियन के रूप में अथवा प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। नकद प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। इससे लंबी अवधि के लिए पुरस्कार प्रारंभ करने हेतु इच्छुक दाता को तदनुसार निधियन सृजित करना होगा।

2. स्वर्ण पदक:

- क. स्वर्ण पदक प्रारंभ करने हेतु प्रति पदक न्यूनतम रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का अनुदान (दान) करना होगा। इस पदक को वर्तमान अथवा आगामी सत्र से प्रारंभ किये जाने हेतु दीक्षांत से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा—
 - i. दान की गई राशि विश्वविद्यालय खाते में जमा कर दी गई हो;
 - ii. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने पुरस्कार को प्रारंभ करने का अनुमोदन कर दिया हो।

3. पीठ:

- क. किसी संस्थान/संकाय/विभाग में पीठ की स्थापना सृजन करने हेतु न्यूनतम निधियन रु. 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) अपेक्षित होगा। पीठ पर नियुक्ति रु. 80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र) प्रतिमाह के समेकित मानदेय पर किया जाएगा तथा नियम व शर्तों के अनुरूप अन्य सुविधाएं देय होंगी।
- ख. पीठ, सरकारी अभिकरण/मंत्रालय, पंजीकृत संस्था अथवा व्यक्तिगत दाता द्वारा या तो निधियन के रूप में अथवा प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) आधार पर सृजित की जा सकती है।

प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) आधार पर पीठ का सृजन अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इससे लंबी अवधि के लिए पीठ सृजित करने हेतु इच्छुक दाता को निधियन सृजन करना होगा।

4. छात्रवृत्ति:

- क. स्नातक छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि रु. 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से 12 महीने के लिए होगी तथा उसके लिए रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) का निधियन अपेक्षित होगा।
- ख. स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु, छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि रु. 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से 12 महीने के लिए होगी तथा इसके लिए रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) निधियन अपेक्षित होगा।
- ग. छात्रवृत्ति, सरकारी अभिकरण/मंत्रालय, पंजीकृत संस्था अथवा व्यक्तिगत दाता द्वारा या तो निधियन के रूप में अथवा प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) आधार पर प्रारंभ की जा सकती है। प्रत्यक्ष पुरस्कार (तदर्थ) के रूप में छात्रवृत्ति की अधिकतम अवधि 4 वर्ष होगी। इससे लंबी अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ करने हेतु इच्छुक दाता को उपयुक्त निधियन का सृजन करना चाहिए।

5. मुक्त निधियन:

छात्रों एवं संस्थान संबंधी सुविधाएं तैयार करने हेतु सहायता करने एवं इनके अनुरक्षण हेतु मुक्त निधियन भी स्वीकार्य होगा।

6. उपर्युक्त सभी मामलों के स्थितियों की प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाएगी। विश्वविद्यालय में निधियन से संबंधित सभी बिन्दुओं की समीक्षा उपयुक्तानुसार, निधियन के सृजन के पश्चात्, न्यूनतम दो वर्षों में की जायेगी।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पदक, छात्रवृत्ति, पीठ की स्थापना, नकद पुरस्कार इत्यादि के सृजन, निधियन एवं इसके संचालन हेतु निर्णय विश्वविद्यालय निधियन समिति द्वारा लिये जायेंगे जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:

क)	कुलपति	अध्यक्ष
ख)	संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय	सदस्य
ग)	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
घ)	संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
ङ)	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
च)	निदेशक, शोध एवं विकास	सदस्य
छ)	वित्त अधिकारी	सदस्य
ज)	कुलसचिव	सदस्य
झ)	उप कुलसचिव	सचिव

7. निधियन के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष-पुरस्कार (तदर्थ) के आधार पर प्रारंभ किए जाने वाले पुरस्कारों हेतु सभी प्रस्ताव विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे तथा समिति की संस्तुति के पश्चात् प्रारंभ किये जायेंगे।



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भारत)

Website: www.suksn.edu.in

Siddharth University, Kapilvastu Guidelines For Endowment For Medal, Scholarship, Chair, Cash Prize etc.

Siddharth University, Kapilvastu is an important institutional unit of Bharat and society. The University has an essential requirement of integrating societal contribution in its pursuit of excellence towards academic research, sports, and cultural performance, by its students as well as faculty. In this direction, the University shall invite endowments towards instituting medals, scholarships, chairs, awards, etc under the following guidelines.

1. Cash prize:

- a. The minimum amount of Cash Prize shall be Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) per annum with the increments in multiples of five thousand only.
- b. For instituting one cash award of Rs. 10,000/- an endowment of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakh only) would be required. The endowment shall proportionately increase in case of increase in number of award and/or quantum.
- c. The award may be instituted either as an endowment or on direct-award (ad-hoc) basis by Government agency/ministry, registered organization/association or an individual donor. The direct-award (ad-hoc) of cash prize shall be for a maximum period of five years only. A donor desirous of instituting the award for longer duration shall have to create an endowment for the same.

2. Gold Medal:

- a. The minimum donation for instituting a Gold Medal shall be Rs. 2,00,000/- (Rs. Two Lakh only) per medal. The award shall be effective from the same or next academic session; provided following two conditions are satisfied before convocation.
 - i. The donation has been deposited in the University account; and
 - ii. The Academic Council of the University has approved the institution of award.

3. Chairs:

- a. For creation of Chairs in the University/Faculty/Department the minimum endowment required would be Rs. 2.00 Crores. (Rupees Two Crores only). Appointment on the Chair shall be made on a consolidated honorarium of Rs. 80,000/- (Rs. Eighty thousand) per month and other facilities admissible as per terms and conditions, and norms of the University.
- b. The Chair may be created either as an endowment or on direct-award (ad-hoc) basis by Government agency/ ministry, registered association or an individual donor. Creation of the Chair on direct-award (ad-hoc) basis shall be for a maximum period of five years only. A donor desirous of creating the chair for longer duration shall have to create an endowment for the same.

4. Scholarship:

- a. For Under Graduate Scholarship, the minimum amount of scholarship would be @ Rs. 3000/-(Rs. Three thousand) per month for 12 months, and an endowment of Rs. 5,00,000/-(Rs. Five lakh) would be required.
- b. For Post Graduate Scholarship, the minimum amount of scholarship would be @Rs. 5000/-(Rs. Five thousand) per month for 12 months, and an endowment of Rs. 5,00,000/-(Rs. Five lakhs) would be required.
- c. The scholarship may be instituted either as an endowment or an direct-award (ad-hoc) basis by Government agency/ministry, registered association or an individual donor. The direct-award (ad-hoc) of scholarship shall be for a maximum period of four years only. A donor desirous of instituting the award for longer duration should crate an endowment for the same.

5. Open-ended Endowment:

Open ended endowment for creation, support and maintenance of facility in respect of students and the University shall also accepted.

6. All the matter related to the institution of medal, scholarship, Chair, cash prize etc. through endowment shall be reviewed after the minimum period of two years of its institution

The matters related to the creation/institution an implementation of endowments in the University shall be implemented by the University Endowment Committee as below:

a) Vice Chancellor, Siddharth University, Kapilvastu	Chairperson
b) Dean, Faculty of Commerce	Member
c) Dean, Faculty of Science	Member
d) Dean, Faculty of Arts	Member
e) Dean, Students Welfare	Member
f) Director, R&D	Member
g) Finance Officer	Member
h) Registrar	Member
i) Deputy Registrar	Secretary

7. All proposals for Institution of Awards of Prizes/Gold Medals/Chairs either through endowment or on a Direct-Award (ad-hoc) basis shall be routed through the concerned Head of Department and Dean of the Faculty for the consideration of the competent authority of the University, as per the guidelines.